

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 520 / 07

संस्थित दिनांक -03 / 09 / 07

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

जलील खान वल्द शमशेर खान

उम्र 56 वर्ष निवासी कम्पाउण्डर टोला

बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::{ दिनांक **25 / 05 / 2017** को घोषित }

1. अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 292 तथा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 51/63 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 22.07.2007 को समय 22:40 बजे स्थान परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय बैहर में 31 अश्लील सी.डी., कैसेट को विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचा, उत्पादित किया या अपने कब्जे में रखा तथा प्रतिलिप्याधिकार स्वामी या रजिस्ट्रार की अनुज्ञप्ति के बिना हिन्दी फिल्मों सौतेला, अंगरक्षक, हद कर दी एवं हिन्दी गानों की तीन अतिलंघनकारी प्रतियां विक्रय या भाड़े के लिए बनाया अथवा विक्रय किया या भाड़े पर दिया या व्यापार के तौर पर संप्रदर्शित किया या विक्रय या भाड़े के लिए प्रतिस्थापित किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.07 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जलील खान परिक्षेत्र खापा बफर जोन बैहर के अपने कार्यालय में अश्लील फिल्म देखता है एवं अश्लील फिल्म की सी.डी. कार्यालय से ही किराये पर देता एवं बेचता है। सूचना रोजनामचा सान्हा क्रमांक 918 पर दर्ज कर मय हमराह स्टाफ तथा गवाहों के साथ जाकर कार्यालय प्रभारी रेवाराम झारिया को सूचना से अवगत कराकर तस्दीक हेतु लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात तस्दीक करने पर अभियुक्त जलील खान शासकीय कम्प्यूटर में हिन्दी फिल्म देखते मिला। जिसने पूछताछ करने पर आलमारी खोलकर कुल 31 नग सी.डी. अश्लील फिल्म की पेश की, जिन्हें कम्प्यूटर पर चेक करने के पश्चात आरोपी का कृत्य अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर

विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 22.07.07 को समय 22:40 बजे परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय बैहर में 31 अश्लील वीडियो सी.डी. को विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचा, उत्पादित किया या अपने कब्जे में रखा ?

(2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रतिलिप्याधिकार स्वामी या रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना हिन्दी फिल्मों तथा गानों की अतिलंघनकारी प्रतियां विक्रय या भाड़े के लिए बनाया अथवा दिया अथवा व्यापारिक तौर पर संमप्रदर्शित किया या विक्रय या भाड़े के लिए प्रतिस्थापित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. नवीन कुमार जैन (अ0सा0-5) का कहना है कि वह दिनांक 22.07.07 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरोपी जलीलखान के बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 918 पर दर्ज कर कार्यवाही हेतु मय फारेस्ट स्टाफ के रवानगी की गयी। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की सत्य प्रतिलिपि पेश है। मौके पर पहुंचकर प्रभारी रेवारांम झारिया को तलब कर सूचना से अवगत कराया। जिन्होंने लिखित सहमति प्रदान की। समक्ष उपस्थित गवाहों के और उनके अधिकारी की निशांदाही पर तस्दीक करने पर आरोपी जलील खान अपने पीछे ऑफिस में बैठकर कम्प्यूटर चलाते पाया गया। जिससे सी.डी. बाबत पूछने पर हीला-हवाला के पश्चात सी.डी. निकालकर पेश की। जिसमें 31 नग सी.डी. अश्लील कामुक तथा 6 नग सी.डी. हिन्दी गानों की थीं। कुल 37 सी.डी. जप्त की गयीं थीं। आरोपी से उक्त सी.डी. रखने के संबंध में लाईसेंस बाबत पूछे जाने पर उसने लाईसेंस नहीं होना बताया।

6. नवीन कुमार जैन (अ0सा0-5) के अनुसार दिनांक 22.07.07 को आरोपी जलील खान से गवाहों के समक्ष 31 नग सी.डी. तथा 6 नग अन्य सी.डी.

लोहे की आलमारी, एक कम्प्यूटर सेट तथा चाबी का गुच्छा जप्त किया गया जो प्र.पी.2,3,4 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत उक्त दिनांक को ही थाना पहुंचकर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 60/07 धारा-292, 2क, 294 भा.दं0सं0 एवं कापीराइट एक्ट 51, 52बी, 53, 56 के तहत आरोपी जलीलखान के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा गवाह सतेन्द्र प्रतापसिंह, देवीप्रसाद ठाकरे, रविकांत, रेवारांम झारिया, देवेन्द्र असाटी तथा सुनील कुमार के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

7. प्रतिपरीक्षण में साक्षी नवीन कुमार जैन (अ0सा0-5) का कथन है कि घटना दिनांक 22.07.07 की है। उसे थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.07.07 है जोकि रात्रि 12:00 बजे के बाद तारीख बदलने के कारण है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सूचना का प्रकार स्पष्ट नहीं है। मौके पर आरोपी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। घटना के समय अश्लील सी.डी. नहीं चल रही थी, अपितु गाने की सी.डी. चल रही थी। सी.डी. की कॉपी हो जाती है, गाने की सी.डी. बाजार में मिलती है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा गवाहों के समक्ष प्र.पी.2,3,4 की झूठी कार्यवाही की गयी एवं गवाहों के कथन उसने अपने मन से लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 की कार्यवाही झूठी की थी तथा उसके द्वारा आरोपी को फंसाने के लिए झूठी विवेचना की गयी।

8. मोहर भगत (अ0सा0-6) का कथन है कि वह वर्ष 2002 से 2009 तक थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दौरान दिनांक 22.07.07 को तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक के आदेशानुसार उनके हमराह स्टाफ परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय बैहर गये थे जहां पर जलील खान द्वारा कम्प्यूटर में अश्लील चित्र देखते पाये जाने से थाना प्रभारी नवीन जैन द्वारा सी.डी. कम्प्यूटर एवं आलमारी को जप्त कर जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष की गयी थी। उसी दौरान वह तथा हमराह बल सहायक उपनिरीक्षक मिश्रा, आरक्षक रामभजन साहू, देवेन्द्र असाटी तथा सुनील भी साथ में थे। कार्यवाही उपरांत हमराह स्टाफ वापस थाने आ गये। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह घटनास्थल पर थाना प्रभारी के कहने पर गया था। वह लोग जहां गये थे वह सरकारी वन विभाग का कार्यालय है तथा वहां पर कम्प्यूटर भी था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि देवेन्द्र असाटी और सुनील नहीं गये थे तथा जप्ती की कार्यवाही थाने में की गयी थी।

9. रामभजन साहू (अ0सा0-8) का कथन है कि वह दिनांक 22.07.07 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी नवीन जैन एवं हमराह स्टाफ परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय बैहर गया था। जिसके दौरान आरोपी जलील खान के कब्जे से 37 नग सी.डी. एक नग कम्प्यूटर तथा लोहे की आलमारी देवेन्द्र असाटी व सुनील के समक्ष विधिवत जप्त की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह घटनास्थल पर थाना प्रभारी के कहने पर गया था। वह लोग जहां गये थे वह सरकारी वन विभाग का कार्यालय है तथा वहां पर कम्प्यूटर संचालित था। वहां से जो सी.डी. जप्त की गयी वह कौन सी सी.डी. थी उसे नहीं मालूम। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जप्ती स्थल पर देवेन्द्र असाटी और सुनील नहीं थे।

10. देवीप्रसाद (अ0सा0-3) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो वर्ष पूर्व शाम के आठ से नौ बजे की है। घटना दिनांक को वह तन्नौर नदी के पास बने हुए बफर जोन रेंज आफिस कार्यालय में वायरलेस ड्यूटी पर था। पुलिस वाले कार्यालय में आये थे और कुछ सी.डी. जप्त किये थे और घटनास्थल से आरोपी को लेकर गये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना रात्रि को परिक्षेत्र अधिकारी झारिया के साथ उनके क्वार्टर में खड़ा होने के दौरान थाना प्रभारी बैहर दो व्यक्ति लेकर आये थे और झारिया साहब से कह रहे थे कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली है कि कार्यालय लिपिक जलील खान ब्ल्यू फिल्म की सी.डी. रखता है और किराये से लोगों को देता है जो चेक करना है। कार्यालय के अंदर चेक करने पर सचेन्द्रप्रताप फारेस्ट गार्ड डांक छंटनी कर रहा था और आरोपी जलील खान कम्प्यूटर में फिल्म देख रहा था।

11. देवीप्रसाद (अ0सा0-3) के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा आलमारी की चाबी मांगने पर आरोपी ने पहले कहा कि घर पर है। जब घर से चाबी बुलाने को कहा तो ना नुकर कर चाबी अपने पास से दे दी। चाबी से आलमारी खोलने पर एक काले बैग के अंदर 36 सी.डी. मिली जिसमें 31 सी.डी. अश्लील ब्ल्यू फिल्म की थीं। उसके बाद सी.डी. और आरोपी को लेकर पुलिस वाले चले गये। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसकी ड्यूटी कार्यालय से 100मी. की दूरी पर थी तथा घटना दिनांक को उसकी ड्यूटी सुबह दस बजे से शाम 06 बजे तक थी। जहां पर कार्यवाही की गयी थी उसी कार्यालय में आरोपी बाबू है। आरोपी कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है बल्कि वह बाबू का काम करता है। घटना के पूर्व उसने आरोपी को कभी कम्प्यूटर चलाते नहीं देखा है। काम के दौरान आरोपी रात्रि में ड्यूटी करता है। जब वह लोग कार्यालय आये तो वहां पर दो लोग थे और दूसरा व्यक्ति भी कार्यालय में ही था। कम्प्यूटर पर क्या चल रहा था वह नहीं बता सकता। कम्प्यूटर के कमरे में आलमारी नहीं है। कम्प्यूटर के रख रखाव व संचालन की जिम्मेदारी कम्प्यूटर

ऑपरेटर की थी आरोपी की नहीं थी तथा कम्प्यूटर संबंधी समस्त अवैध व अनुचित गतिविधियों की जिम्मेदारी कम्प्यूटर ऑपरेटर की थी। जप्तशुदा सी.डी. उसके सामने चलाकर नहीं देखी गयी थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि सी.डी. आरोपी की न होकर कम्प्यूटर आपरेटर की थी तथा पुरानी दुश्मनी के कारण उसने आरोपी को फंसाने के लिए झूठे बयान दिये।

12. रविकांत (अ0सा0-4) का कथन है कि घटना के समय वर्ष 2005 में वह बफर जोन कार्यालय बैहर में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर पदस्थ था। उसकी ड्यूटी सुबह 10 से शाम 06 बजे तक थी। आरोपी जलील खान उक्त कार्यालय में लिपिक का कार्य करता था और उसका कार्यालय रात्रि में भी खुला रहता था। घटना के समय आरोपी तथा एक फारेस्ट गार्ड कार्यालय में रात्रि में रहते थे। दिनांक 22.07.07 को रात्रि में डिप्टी साहब उक्त कार्यालय आये थे। लगभग आधे घण्टे बाद वह भी कार्यालय गया था। उस समय आरोपी और वनरक्षक कार्यालय में ही थे। आरोपी ने उस समय क्या निकालकर दिया था इस बाबत उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई चेकिंग नहीं हुई थी। दूसरे दिन उसके बयान हुए थे तथा पुलिसवालों ने उससे हस्ताक्षर करवाये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उक्त तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने कार्यालय की आलमारी के अंदर से एक काले रंग का बैग निकाला था जिसके अंदर से 36 सी.डी. कैसेट निकालकर पेश की थी और चेक करने पर 31 सी.डी. ब्ल्यू फिल्म वाली निकली थीं। साक्षी ने उक्त तथ्य को भी अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष सी.डी., कैसेट तथा कम्प्यूटर, आलमारी जप्त हुए थे। साक्षी के अनुसार उसे आज इस बात का ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को प्र.पी.06 के बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसे जानकारी नहीं है कि पुलिसवालों के द्वारा बफर जोन कार्यालय में आरोपी के बारे में किस बाबत पूछताछ की थी। पुलिसवालों ने कम्प्यूटर चालू करके उसे ब्ल्यू फिल्म चेक करने को नहीं बोला था। उसके समक्ष आरोपी द्वारा कभी भी ब्ल्यू फिल्म की सी.डी. नहीं देखी। पुलिसवालों ने उसे उसके बयान पढ़कर नहीं सुनाया था और न ही उसने पढ़ा था।

13. रेवाराम झारिया (अ0सा0-7) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2007 की है जब वह रेंज ऑफिस बैहर में परिक्षेत्र सहायक करेली के पद पर पदस्थ था। थाने से पुलिसवालों के आकर आफिस की तलाशी हेतु सहमति चाहने पर उसने अपनी सहमति दी थी। उसके बाद पुलिसवालों ने ऑफिस के कम्प्यूटर की जांच कर चाबी, छल्ला तथा कम्प्यूटर उसे सुपुर्दनामा पर दिया था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिसवालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही पुलिस ने उसके कोई बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसे थाना प्रभारी ने बताया था कि उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि

कार्यालय लिपिक जलील खान अश्लील फिल्म की सी.डी. कार्यालय में रखकर देखता, बेचता और किराये से देता है। साक्षी ने उक्त तथ्यों से इंकार किया है कि उसकी सहमति के पश्चात जब वह थाना प्रभारी और अन्य पुलिसवालों के साथ कम्प्यूटर कक्ष गया तो जलील खान कम्प्यूटर में अश्लील फिल्म देख रहा था। जिसने आलमारी खोलकर अंदर से 36 सी.डी. रखा हुआ बैग निकाला तथा चेक करने के पश्चात आरोपी जलील खान से 36 नग अश्लील सी.डी. कम्प्यूटर सेट एवं आलमारी उसके समक्ष जप्त की गयी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने शासकीय कम्प्यूटर तथा लोहे की आलमारी मय चाबी का गुच्छा अपने हिफाजतनामा में रखने हेतु हिफाजतनामा प्र.पी.09 के अनुसार लिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने उक्त तथ्यों से इंकार किया है कि उसने थाना प्रभारी बैहर जलीलखान द्वारा शासकीय कम्प्यूटर में अश्लील फिल्म देखने, बेचने और किराये से चलाने के संबंध में जांच की सहमति दी थी। परंतु सहमति प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार पुलिस ने केवल कम्प्यूटर चेक करने के संबंध में सहमति मांगी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने उसके कार्यालय आकर आफिस चेक करने की सहमति चाही थी और उसके द्वारा उन्हें आफिस चेक करने दिया गया था। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे और ना ही उसे बयान पढ़कर सुनाया था।

14. घटना के अन्य स्वतंत्र साक्षी सुनील तिवारी अ0सा01 तथा देवेन्द्र असाठी अ0सा02 पक्षद्रोही रहे हैं जिन्होंने उनके समक्ष जप्ती की कार्यवाही से इंकार कर पुलिस को प्र.पी.01 तथा 05 के कथन न देना व्यक्त किया। यद्यपि दोनों साक्षियों ने जप्ती पत्रक पर तथा साक्षी सुनील तिवारी अ0सा01 गिरफ्तारी पत्रक पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। भा.दं0सं0 की धारा-292 के अपराध हेतु अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण, लोक प्रदर्शन, भाड़ा या परिचालन आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अपराध हेतु अतिलंघनकारी प्रतियों का विक्रय, भाड़ा अथवा संप्रदर्शन आवश्यक है। सम्पूर्ण प्रकरण में आरोपी के द्वारा कथित सी.डी. के विक्रय, वितरण, लोक प्रदर्शन, भाड़ा या परिचालन के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथापि सर्वप्रथम आधिपत्य के संबंध में साक्ष्य का विशलेषण आवश्यक है।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 के अनुसार परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय में पहुंचने पर आरोपी जलील खान कम्प्यूटर पर फिल्म देखते पाया गया जिसने सी.डी. बाबत पूछताछ करने पर टाल-मटोल करने के पश्चात दूसरे कमरे में रखी आलमारी से काले बैग में रखी सी.डी. निकालकर पेश की। अभियोजन की उक्त कहानी का समर्थन नवीन जैन अ0सा05 तथा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर देवीप्रसाद अ0सा03 ने किया। प्रतिपरीक्षण में देवीप्रसाद अ0सा03 ने कथन किया है कि उक्त कार्यालय में आरोपी कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है अपितु बाबू का काम करता है। घटना के समय दूसरा व्यक्ति भी कार्यालय में ही था। कम्प्यूटर से

संबंधित समस्त गतिविधियों की जिम्मेदारी कम्प्यूटर आपरेटर की थी। यद्यपि विवेचक नवीन जैन अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण में मौके पर आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति के नहीं होने के कथन किये हैं। तथापि कार्यालय के कर्मचारी ने ही घटना के समय अन्य व्यक्ति की कार्यालय में मौजूदगी की पुष्टि की है। जिसमें रविकांत अग्निहोत्री अ0सा04 भी सम्मिलित हैं। जिसके अनुसार घटना के समय आरोपी और वन रक्षक कार्यालय में थे। स्वतंत्र साक्षियों ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है तथापि यदि तर्क के लिए अभियोजन कहानी पर विश्वास किया जाये तब भी प्रकरण में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि कथित आलमारी केवल आरोपी के आधिपत्य में थी। घटना के समय आरोपी का कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थ होना दर्शित है। प्रकरण में ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि घटना के समय केवल आरोपी ही कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थ था तथा कार्यालय की समस्त सामग्री एकमेव उसके आधिपत्य में होकर कार्यालय की समस्त सामग्रियों हेतु वह जिम्मेदार था।

16. जहां तक सी.डी. के पायरेटेड होने का संबंध है। अभियोजन द्वारा उन्हें किस आधार पर पायरेटेड कहा गया है यह सम्पूर्ण प्रकरण में दर्शित नहीं है। प्रकरण में कहीं भी सी.डी. का परीक्षण दर्शित नहीं है और ना ही किसी अधिकृत व्यक्ति से सी.डी. के पायरेटेड होने के संबंध में कोई अभिमत लिया गया है। अभियोजन द्वारा कोई आधार ही दर्शित नहीं किया गया है जिससे सी.डी. नकली प्रमाणित होती हैं। विवेचक साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं कि उसने जप्तशुदा सी.डी. का परीक्षण कराया था। साक्षी के मात्र मौखिक कथनों के आधार पर सी.डी. के पायरेटेड होने के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती।

17. प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से जप्ती होना प्रमाणित नहीं है। यदि तर्क के लिए जप्ती को मान लिया जाये तब भी कथित सी.डी. के विक्रय, वितरण, लोक प्रदर्शन, भाड़ा या परिचालन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि घटनास्थल शासकीय कार्यालय है। जहां तक अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त द्वारा कार्यालय में अश्लील फिल्म देखने का आरोप है, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 में घटना के समय अभियुक्त द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर पर अश्लील फिल्म देखने का लेख है और न ही विवेचक साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य हैं क्योंकि नवीन जैन अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय अश्लील सी.डी. नहीं चल रही थी। अपितु गाने की सी.डी. चल रही थी। तथापि यदि अभियोजन के तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा कार्यालय में अश्लील फिल्म देखी जा रही थी तब भी उसके विरुद्ध धारा-292 भा.दं0सं0 के अपराध का आरोप पूर्ण नहीं होता। क्योंकि अश्लील फिल्म देखना उक्त धारा का अपराध घटित नहीं करता उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत-जगदीश चावला विरुद्ध राजस्थान राज्य 1999 सी.आर.एल.जे.

2562(राज.) अवलोकनीय है। प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से कथित सी.डी. जप्त होना सिद्ध नहीं है और न ही अभियुक्त द्वारा उक्त सी.डी. के विक्रय, वितरण, लोक प्रदर्शन, भाड़ा या परिचालन के संबंध में कोई साक्ष्य है। प्रकरण में कथित सी.डी. का पायरेटेड होना भी दर्शित नहीं है।

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.07.07 को समय 22:40 बजे परिक्षेत्र खापा बफर जोन कार्यालय बैहर में 31 अश्लील वीडियो सी.डी. को विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचा, उत्पादित किया या अपने कब्जे में रखा और प्रतिलिप्याधिकार स्वामी या रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना हिन्दी फिल्मों तथा गानों की अतिलिप्यधिकारी प्रतियां विक्रय या भाड़े के लिए बनाया अथवा दिया अथवा व्यापार तौर पर संप्रदर्शित किया या विक्रय या भाड़े के लिए प्रतिस्थापित किया।

19. अतः अभियुक्त जलील खान पिता शमशेर खान को भा.दं0सं0 की धारा 292 तथा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा-51 सह पठित धारा-63 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे की आलमारी, कम्प्यूटर सेट तथा एक चाबी का गुच्छा कार्यालय प्रभारी खापा बफर जोन बैहर की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात कार्यालय प्रभारी के पक्ष में उन्मोचित हो प्रकरण में जप्त सी.डी. कैसेट कुल-37 नग नियमानुसार नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

22. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)